

फर्द अहकाम

गर्नालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्रमांक दिनांक विषय (अहकाम)
 पत्रावली संख्या 16/23 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p><u>11/6/25</u> पत्रावली पेश हुई। अति. उमयपम.उप. पूर्व आई.सी.ए. में सेवक से सेवक साक्ष्यवादी कि लेख डी गई छुट्टि प्रतिवादी शरणा. 2 का पूर्व में जवाब पेश होके से बाद में तनकीयात कामम कि पावेगी पत्रावली वास्तु काममी तनकीयात दिनांक 16/7/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(SDO) मावली</p>	
<p><u>16/7/25</u> वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. काममी तनकीयात के लिये मौका चाहते है। अतः <u>18/8/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>18/8/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(SDO) मावली</p>	
<p><u>18/08/25</u> पत्रावली पेश हुई। अति. उमयपम.उप. पत्रावली न. 34.1 तनकीयात काममी की गई। पत्रावली वास्तु साक्ष्यवादी दिनांक 04/09/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(SDO) मावली</p>	
<p><u>04/9/25</u> वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. साक्ष्य वादी के लिये मौका चाहते है। अतः <u>16/9/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>16/9/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(SDO) मावली</p>	
<p><u>16/9/25</u> वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. साक्ष्य वादी के लिये मौका चाहते है। अतः <u>29/9/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>29/9/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(SDO) मावली</p>	



29/9/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-अधिकारी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 25/11/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 25/11/25
को पेश हो।
(SDO) मावली

25/11/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता-पक्षकारान रुप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 9/12/25 को पेश हो।
B1
5

9/12/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-अधिकारी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 25/11/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 9/12/26
को पेश हो।
(SDO) मावली

03/2/26
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय
स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे
दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके
हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब
तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण
का वाह अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर से
कम है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



अधीक्षक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली